न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बइ,जलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

---

राजस्व वाद सं.71/2012

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| श्री हिराचंद पुत्र छगनलाल जैन पेशा व्यापार निवासी सिरोही हाल सिलदर जिला सिरोही जरिये जनरल पॉवर ऑफ एर्टोनी श्री चम्पालाल पुत्र नथमलजी जाति जैन आयु 57 वर्ष पेशा व्यापार निवासी उड हाल सिरोही | | 1–श्री नैनसिंह पुत्र धोकलसिंहजी जाति राजपूत आयु 66 वर्ष निवासी चादणा तह. व जिला जालौर<br>2 श्री जोगाराम पुत्र सालारामजी जाति पुरोहित निवासी आडवाडा तह. व जिला जालौर<br>3–श्री भंवरलाल पुत्र किशनाजी आयु 34 वर्ष जाति पुरोहित निवासी भेटाला तह. व जिला जालौर<br>4–श्रीमति सतिबाई पत्नि श्री तुलसीरामजी आयु 39 वर्ष जाति पुरोहित नि. मनोरा तहसील व जिला सिरोही<br>5– श्रीमति रतनी पत्नि श्री शंकरलालजी जाति पुरोहित आयु 45 वर्ष नि.मनोरा तहसील व जिला सिरोही<br>6– तहसीलदार सिरोही |

उपस्थित :–
1– वादी की ओर से विद्वान वकील श्री दशरथसिंह आढा
3– प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अ.धा. 53 राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते कृषि भूमि का विभाजन करने

---

निर्णय दिनांक 30–7–2019

वादी ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अन्त,गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन करने बाबत विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक का इस न्यायालय मे दिनांक 10–5–2012 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने उक्त वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही I मे कृषि भूमि खसरा नंबर 468 क्षैत्रफल 0.08 हैक्टेयर बारानी I खसरा नंबर 469 क्षैत्रफल 0.49 हैक्टेयर बारानी I खसरा नंबर 479 क्षैत्रफल 1.03 हैक्टेयर बारानी I खसरा नंबर 481 क्षैत्रफल 2.22 हैक्टेयर बारानी I और खसरा नंबर 484 क्षैत्रफल 1.08 हैक्टेयर बारानी प्रथम मूल खसरा नंबर 05 मूल क्षैत्रफल 3.90 हैक्टेयर कृषि भूमि है। वर्णित समस्त कृषि भूमि मे वादी का प्रत्येक खसरा मे आधा आधा हिस्सा अर्थात कुल 1.95 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार कृषक होकर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का खसरा संख्या 468 व 469 मे I आधा हिस्सा 0.285 हैक्टेयर भूमि मे कृषक खातेदार है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक ,दो व तीन खसरा नंबर 479,481,484 मूल रकबा 3.33 हैक्टेयर मे 2/10 भाग अर्थात 0.666 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच कुल 0.999 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार कृषक होकर काबिज काश्त है। वादी का वर्णित समस्त पांच खसरा संख्या की कृषि भूमि मे आधा आधा हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या एक नैनसिंह का खसरा नंबर 468 मे 0.02 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 469 मे 0.1225 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

479 मे 0.06866 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नंबर 481 मे 0.08133 तथा खसरा नंबर 484 मे 0.072 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार कृषक तथा प्रतिवादीगण संख्या दो जोगाराम का खसरा नंबर 468 मे 0.02 हैक्टेयर खसरा नंबर 469 मे 0.1225 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 479 मे 0.06866 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 481 मे 0.08133 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 484 मे 0.072 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार कृषक है। तथा प्रतिवादीगण संख्या तीन भंवरलाल खसरा नंबर 479 मे 0.06866 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 481 मे 0.08133 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 484 मे 0.072 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादीगण संख्या चार श्रीमति सतिबाई खसरा नंबर 479 मे 0.1545 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 481 मे 0.183 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 484 मे 0.162 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खातेदार हैं प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती रतनी का खसरा नंबर 479 मे 0.1545 है व खसरा नंबर 481 मे 0.183 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 484 मे 0.1625 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खातेदार कृषक है। वादी सम्पूर्ण भूमि मे प्रतिवादीगण के साथ सह–खातेदार है और कृषि भूमि का आज दिन तक बंटवाड नही हुआ है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मे पूर्व खातेदारान से 6 जुलाई 2011 को कृषि भूमि कय की है और बिना बंटवाड सम्पन्न करवाये प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि कय की गई है तथा वादी प्रतिवादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि मे संयुक्त रूप से खातेदार कृषक रहकर कृषि कार्य करने मे असमर्थ है तथा वादी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बाय मिटस एण्ड बाउण्ड सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवाड करवाना चाहता है। वादी स्वंय व्यक्तिगत रूप से व्यापार के सिलसिले मे अक्सर मैसूर (कर्नाटक) मे रहता है जिससे सिरोही शहर मे व्यक्तिगत रहकर कृषि कार्य मे कार्य करने मे असमर्थ है तथा पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर वादी के जीजाजी लगते है तथा विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध मे चम्पालाल जी जैन पूर्ण जानकारी रखते है जिससे पूर्ण वाद वादी जरिये पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर श्री चम्पालाल जैन प्रस्तुत कर रहा है। बिनाय वाद वादी प्रतिवादीगण से विवादित कृषि भूमि मे सह–खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त हरने व कृषि कार्य करने मे असमर्थ रहने से प्रतिवादीगण द्वारा कृषि कय करने के बाद पैदा हुआ है और सम्पूर्ण कृषि अआराजी का परस्पर बंटवाड करवाने के लिये वाद प्रस्तुती का कारण बना है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद मे वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजी बाय मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन सम्पन्न करवाना फरमाकर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन के पश्चात वादी को विभाजन मे प्राप्त होने वाली कृषि आराजी का राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करना फरमावें ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3, मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता नंबर 266 खसरा नंबर 468,469,479 481,484 कुल खसरा 5 कुल क्षैत्रफल 3.9000 हैक्टेयर किस्म बारानी I लगान 11.70 जनरल पॉवर ऑफ एर्टोनी दिनांक 3–5–2012 चम्पालाल जैन के पक्ष मे,नक्शा, ,मिलान क्षैत्रफल, विकय विलेख दिनांक 5–7–2011, भंवरलाल ,नैनसिंह,जोगाराम ,के पक्ष मे विकय विलेख दिनांक 5–7–2011 सतीबाई व रतनी के पक्ष ,विकय विलेख दिनांक 5–7–2011 नैनसिंह ,जोगाराम के पक्ष मे भूप्रबन्ध जमाबंदी पर्चा नकल के अवलोकन से वाद पत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 10–5–2012 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जवाबदावा पेश करने हेतु सम्मन जारी किये गये ,जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 सम्मन रजिर्स्टड एडी से भेजने से एडी प्राप्ति रसीद इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–7–2012 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 नैनसिंह की ओर से वकील श्री महेन्द्र चौहान ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री महेन्द्र चौहान ने अण्डर टेकिंग ली है। पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाबदावा व वकालतनामा हेतु न्यायालय मे दिनांक 4–9–2012 को रखी गई ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 9–11–2012 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही ने जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि विचाराधीन राजस्व वाद मे सरकार का पक्ष का कोई हित नही होने से जवाब देने की आवश्यकता नही है। विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 19–3–2013 को वकील वादी ने प्रार्थनापत्र बाबत प्रतिवादीगण का जवाबदावा बंद करने व प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी वाद मे संशोधन कराने का पेश करने से शामिल मिसल किया गया । वकील वादी को उक्त दोनो प्रार्थनापत्रों की प्रतियॉ वकील प्रतिवादीगण को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये । दिनांक 28–10–2014 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान उक्त दोनो प्रार्थनापत्रों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु वकील प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रार्थनापत्रों का जवाब पेश नही करने से वकील वादी की उक्त प्रार्थनापत्रों पर एक तरफा बहस सुनी गई । विचारण वाद को गुणावगुण के आधार पर निनस्तारण करने मे वकील वादीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का भविष्य मे सहायक सिद्व हाने को मध्यनजर रखते हुये न्यायहित मे प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मल वाद मे पैरा संख्या 1 मे तीसरी लाईन मे खसरा नंबर 79 की जगह लाल स्याही से 479 अकित किया गया तथा न्यायालय द्वारा वकील प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने हेतु दिनांक 20–7–2012 से निरन्तर पर्याप्त अवसर देने के बावजूद व सीपीसी के प्रावधानो के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से निर्धारित 90 दिन की समयावधि मे जवाबदावा पेश नही करने से न्यायालय द्वारा जवाबदावा बंद करने के आदेश दिये गये । वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी मे हीराचंद का शपथपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 24–2–2015 को पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–4–2015 को वकील वादी ने आगे साक्ष्य वादी नही करवाने के निवेदन पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद करने का आदेश दिया गया । तथा वकील प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने से न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 8–12–2017 को बंद की गई । विचारण प्रकरण वास्ते राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट पर वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट तहसीलदार, सिरोही की अंतिम बहस 30–7–2019 को न्यायालय मे रखा गया ।

विचारण प्रकरण की यह पत्रावली विचाराधीन राजस्व वाद अ.धा.53 आर.टी.एक्ट पर वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस हेतु दिनांक 30–7–2019 को रखी गई जिस पर वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादीस्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील वादी ने अपनी बहस वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है खातेदारान सहकृषक है वादग्रस्त कृषि आराजी अविभाजित है इसलिये वाद वादी प्रतिवादीगण से विवादित कृषि भूमि मे सह–खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त हरने व कृषि कार्य करने मे असमर्थ रहने से प्रतिवादीगण द्वारा कृषि क्रय करने के बाद पैदा हुआ है और सम्पूर्ण कृषि अआराजी का परस्पर बंटवाड करवाने के लिये वाद प्रस्तुती का कारण बना है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद मे वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजी बाय मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन सम्पन्न करवाना फरमाकर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन के पश्चात वादी को विभाजन मे प्राप्त होने वाली कृषि आराजी का राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करना फरमावें । प्रतिवादीगण संख्या 5 स्टेट की

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने दौराने बहस कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारो की निजी है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वकील पक्षकारान की उक्तानुसार सहमति के आधार पर विभाजन किया जाता है तो उससे किसी प्रकार की राजस्व हानि या राजहित प्रभावित नही होगा।

हमने विचारण वाद प्रकरण मे वकील वादी तथा प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट तहसीलदार ,सिरोही की अंतिम बहस पर मनन किया तथा विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न वादपत्र, उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वकील वादी की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत विचारण यह वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन कराने का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही I तहसील सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता नंबर 266 खसरा नंबर 468,469,479,481,484 कुल खसरा 5 कुल क्षैत्रफल 3.9000 हैक्टेयर किस्म बारानी I लगान 11.7 पैसे उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1ता 5 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदारान है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन खातेदारो की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30—7—2019 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

## सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.71 / 2012

वादी बनाम प्रतिवादीगण

श्री हिराचंद पुत्र छगनलाल जैन पेशा व्यापार निवासी सिरोही हाल सिलदर जिला सिरोही जरिये जनरल पॉवर ऑफ एर्टोनी श्री चम्पालाल पुत्र नथमलजी जाति जैन आयु 57 वर्ष पेशा व्यापार निवासी उड हाल सिरोही

1–श्री नैनसिंह पुत्र धोकलसिंहजी जाति राजपूत आयु 66 वर्ष निवासी चादणा तह. व जिला जालौर

2 श्री जोगाराम पुत्र सालारामजी जाति पुरोहित निवासी आडवाडा तह. व जिला जालौर

3–श्री भंवरलाल पुत्र किशनाजी आयु 34 वर्ष जाति पुरोहित निवासी भेटाला तह. व जिला जालौर

4–श्रीमति सतिबाई पत्नि श्री तुलसीरामजी आयु 39 वर्ष जाति पुरोहित नि. मनोरा तहसील व जिला सिरोही

5– श्रीमति रतनी पत्नि श्री शंकरलालजी जाति पुरोहित आयु 45 वर्ष निन.मनोरा तहसील व जिला सिरोही

6– तहसीलदार/सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188/53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी वकील श्री दशरथसिंह आढा उपस्थित हुये तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही । विचारण वाद प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का जवाबदावा बंद करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 28–10–2014 को पारित किये है। वकील वादी ने अपनी बहस वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद मे वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजी बाय मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन सम्पन्न करवाना फरमाकर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन के पश्चात वादी को विभाजन मे प्राप्त होने वाली कृषि आराजी का राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने दौराने बहस कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारो की निजी है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वकील पक्षकारान की उक्तानुसार सहमति के आधार पर विभाजन किया जाता है तो उससे किसी प्रकार की राजस्व हानि या राजहित प्रभावित नही होगा ।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत विचारण यह वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन कराने का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही I तहसील सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता नंबर 266 खसरा नंबर 468,469,479,481,484 484 कुल खसरा 5 कुल क्षैत्रफल 3.9000 हैक्टेयर किस्म बारानी I लगान 11.7 पैसे उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदारान है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन खातेदारो की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदार है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे

खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन खातेदारो की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज०)

यह प्राथमिक डिकी आज दिनांक 30–7–2019 मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

| मुद्दाई | रू | पैसे | मुद्दायलाह | रू | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टॉम्प अरजी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अरजी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| मुतफरीक | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरीक | | |
| मौजान | | | मौजान | | |

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
सिरोही (राज०)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज०)